भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3601
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

निर्भया निधि का उपयोग

3601. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेट्रो और बीएमटीसी बसों सहित बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया निधि के तहत कार्यान्वित किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नरे उत्पीड़न और हिंसा के मामलों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए पुलिस कर्मियों और सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों के लिए लिंग-संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निधि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बेंगलुरु में महिला सुरक्षा संबंधी पहलों पर निर्भया निधि के व्यय और प्रभाव को ट्रैक करने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, निर्भया कोष के तहत बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी), कर्नाटक सरकार एक परियोजना लागू कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण बस स्टेशनों पर महिलाओं के लिए लाउंज, लैंगिक-संवेदीकरण और ग्राउंड स्टाफ के लिए महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रशिक्षण, सारथी दस्ते/मोबाइल पुलिस गश्ती

वाहन, महिला सुरक्षा समर्थन, विज्ञापन और जागरूकता अभियान, भारी यात्री वाहन (एचपीवी) और हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंसों के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण, 1000 बसों के लिए सीसीटीवी निगरानी कैमरे, महिला सुरक्षा पर कार्यक्षमता में सुधार के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और बस स्टॉप में यात्री सूचना प्रदर्शन शामिल है। बीएमटीसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, बीएमटीसी बस टर्मिनलों में महिलाओं के लिए 18 लाउंज पूरे हो गए हैं, कुल 27000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, वेब टूल डिजाइन और डैश बोर्ड का काम पूरा हो चुका है और 2 डिपो में प्रायोगिक तौर पर लैंगिक-संवेदीकरण के मूल्यांकन हेतु उपकरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 2773 महिला कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, 25 गश्ती वाहन और 11 हल्के मोटर वाहन तैनात किए गए हैं और 5000 वाहनों में पैनिक बटन तथा मोबाइल नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एमएनवीआर), 1213 स्वचालित ट्रैकिंग डिवाइस (एटीडी), स्थापित किए गए हैं। वाहनों में 2426 सीसीटीवी और पीआईएस डिस्प्ले सिस्टम- 5 लगाए गए हैं। महिला सुरक्षा सुविधा के साथ 'नम्मा बीएमटीसी' मोबाइल एप्लिकेशन को तैयार करके 25 सितंबर 2023 से शुरू किया गया है। बस स्टॉप और बसों में 500 पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं।

बेंगलुरु शहर सहित 8 शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना में, महिलाओं के रहने और कार्यस्थल से सम्बन्धित स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 100 स्थानों पर कैमरें के साथ पोल लगाए गए हैं जिनके द्वारा 8 जगहों से कैमरा फीड कमांड सेंटर को प्राप्त होते हैं। 8 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर रिस्पांस यूनिट स्थापित की गई है और 4 मोबाइल फॉरेंसिक वैन खरीदे गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकल बिंदु होते हैं, देश भर में 14658 महिला सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं जिनमें से 13743 की प्रमुख महिला पुलिस अधिकारी हैं। इनमें से 1050 महिला सहायता डेस्क की स्थापना अकेले कर्नाटक में की गई है।

(ग): निर्भया कोष के लिए फ्रेमवर्क के तहत गठित अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण के प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुशंसा करती है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात्, संबंधित मंत्रालय/विभाग अपने संबंधित बजट से निधियां जारी करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं/स्कीमों को सीधे अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यान्वित करने के लिए अपने संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त करते हैं। अधिकार प्राप्त समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के संयोजन से अनुमोदित परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय/विभाग/भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी अपने स्तर पर परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

*****